मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 7 मार्च, 2013 (फाल्गुन 16, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 18 प्रश्नों पर (द्वितीय चक्र सहित) अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्री के.पी. सिंह, सदस्य द्वारा सिंध परियोजना में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण की विवेचना संबंधी प्रश्न संख्या 8 (क्र. 3199) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 79 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 78 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना जिले के रैगांव के वसुधा स्थित स्कूल में हाल का निर्माण न किये जाने,

(2) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य की राजगढ़ जिले के जगन्नाथपुरा तालाब की डूब क्षेत्र की भूमि का मुआवजा न दिये जाने,

(3) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले के शासकीय महाविद्यालय के होस्टल में प्रवेश न दिये जाने,

(4) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी, सदस्य की रतलाम जिले के ग्रामों में रात में विद्युत सप्लाई की जाने,

(5) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य की सतना जिले की गिरगिटा नहर को बन्द कराये जाने,

(6) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में नकली खाद्य को बेचे जाने,

(7) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के ग्राम घुघरनी में पेयजल योजना चालू न की जाने,

(8) श्री अजय सिंह, सदस्य की पथरिया के कृषि उपज मण्डी में फायरिंग करने वालों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने,

(9) डॉ. महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की गुना एवं अशोकनगर जिले में राजीव गांधी शहरी विद्युतीकरण योजना में भ्रष्टाचार होने एवं

(10) श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्य की रायसेन जिले के ग्राम बूढ़ा को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से न जोड़े जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी मानी गईं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय विश्नोई, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 पटल पर रखा।

4. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की कार्यसूची में उल्लेखित 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तदनुसार -

(1) श्री रामनिवास रावत, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह, डॉ. कल्पना परूलेकर, श्री तुलसीराम सिलावट, डॉ. महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा एवं श्री ब्रजराज सिंह, सदस्यगण ने शिवपुरी शहर में एक बालक का अपहरण कर हत्या किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सर्वश्री रामनिवास रावत तथा ब्रजराज सिंह, सदस्यगण शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आए। तत्पश्चात्, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में, कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(2) सर्वश्री मोती कश्यप, लखन घनघोरिया एवं नरेन्द्र त्रिपाठी, सदस्यगण ने जबलपुर नगर सीमा के अधीन अवैध रूप से भूमि अधिग्रहण किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री ऐदल सिंह कंसाना, सदस्य ने मुरैना जिले के चन्द्रपुरा से बड़पुरा सड़क निर्माण में अनियमितता होने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री प्रदीप जायसवाल तथा श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी, सदस्यगण ने बालाघाट एवं रतलाम जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य धीमी गति से होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री बृजमोहन धूत, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तदनुसार समिति ने शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च, 2013 को आने वाले अशासकीय संकल्पों पर विचार कर चर्चा हेतु निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तुतकर्ता सदस्य	निर्धारित समय
1.	(क्रमांक- 8)	श्री राजेश वर्मा	35 मिनट
2.	(क्रमांक-26)	श्री पांचीलाल मेड़ा	35 मिनट
3.	(क्रमांक- 31)	डॉ. गोविन्द सिंह	45 मिनट
4.	(क्रमांक-33)	श्री पुरूषोत्तम दांगी	35 मिनट

श्री बृजमोहन धूत, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईः-

(1) श्री पुरूषोत्तम दांगी (जिला-राजगढ़)
(2) श्री पारस सकलेचा (जिला-रतलाम)
(3) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(4) श्रीमती गीता उइके (जिला-बैतूल)
(5) श्री हेमराज कल्पोनी (जिला-राजगढ़)
(6) श्री देवीसिंह पटेल (जिला-बड़वानी)

7. वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(दिनांक 4, 5 एवं 6 मार्च, 2013 को हुई चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(8) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए एक हजार एक सौ तेईस करोड़, तैंतीस लाख, तैंतीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए पैंसठ करोड़, चौसठ लाख, उनहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 35	पुनर्वास के लिए पचहत्तर लाख, अड़तीस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए एक हजार छब्बीस करोड़, सोलह लाख, इक्यानवे हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री के.पी. सिंह
(2) श्री बाबूलाल मालवीय
(3) डॉ. महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(4) श्री रामगरीब कोल
(5) श्री पारस सकलेचा
(6) श्री राधेश्याम पाटीदार
(7) श्री ब्रजराज सिंह
(8) श्री मनीराम धाकड़
(9) श्री दिलीप सिंह गुर्जर
(10) श्री रामलखन सिंह
(11) श्री विश्वामित्र पाठक

(12) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(13) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी

श्री करण सिंह वर्मा ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(9) श्री अनूप मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 73 चिकित्सा शिक्षा के लिए चार सौ पांच करोड़, सैंतीस लाख, सड़सठ हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष
(2) श्री ताराचंद बावरिया
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री श्रीकांत दुबे
(5) श्री रामलखन सिंह
(6) श्री गिरिजाशंकर शर्मा

श्री अनूप मिश्रा ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(10) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 10 वन के लिए नौ सौ बत्तीस करोड़, अठानवे लाख, पचासी हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री के.पी. सिंह
(2) श्री बृजमोहन धूत
(3) श्री ब्रजराज सिंह
(4) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(5) कुंवर विक्रम सिंह
(6) श्री राजकुमार उरमलिया
(7) श्री नारायण प्रजापति

श्री सरताज सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 6.16 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च, 2013 (फाल्गुन 17, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 7 मार्च, 2013